शिवप्रसाद प्र राज० सरकार

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 60/ग्रा०न्या०/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28/9/24

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित है। जबाव पेरोकार सरकार के द्वारा आदेशिका पर अंकित किया गया व तहसीलदार हिण्डोली से नाम शुद्धि बाबत जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल है। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 94, 75, 122 ग्राम टहला पटवार मण्डल मांगलीकला व खाता संख्या 74 ग्राम गुढा पटवार मण्डल गुढा में दर्ज होना अंकित करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम शिवप्रसाद है। जबकि प्रार्थी संख्या 1 का नाम ग्राम टहला/गुढा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 94, 75, 122 व 74 में नाबालिग शिवराज दर्ज हो जाने से उसे किसी भी प्रकार की सरकारी सहायताओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाबालिग शिवराज के स्थान पर शिवप्रसाद दर्ज किया जावे। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जबाव अप्रार्थी का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड संख्या 362386849301, जन आधार कार्ड संख्या 4826786755, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान उच्च माध्यमिक परीक्षा अंक तालिका क्रमांक 0627173, स्थाई लेखा संख्या कार्ड संख्या CWMPG3615H, ड्राईविंग लॉईसेंस संख्या आर0जे0–08–20220001606, बैंक खाता पास बुक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हिण्डोली खाता संख्या 61319917579 प्रस्तुत किये है जिनमें प्रार्थी संख्या 1 का नाम शिवप्रसाद अंकित है। जबाव सरकार में प्रार्थी संख्या 1 का नाम नाबालिग शिवराज के स्थान पर शिवप्रसाद शुद्ध दर्ज किया जाना उचित बताया है। एवं तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट अनुसार नाबालिग शिवराज व शिवप्रसाद एक ही व्यक्ति का नाम होना अंकित किया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 94, 75, 122 ग्राम टहला पटवार मण्डल मांगलीकला व खाता संख्या 74 ग्राम गुढा पटवार मण्डल गुढा में दर्ज प्रार्थी संख्या 1 का नाम नाबालिग शिवराज के स्थान पर शुद्ध कर शिवप्रसाद दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखा जाकर सुनाया गया।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)
कोड नं० 24971

तहसीलदार हिण्डोली
जिला बून्दी (राज.)